FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत........सहायक कलक्टर (SDO)........ मुकाम........बापरी........

........प्रमोद कुमार आदि........बनाम ........राजस्थान राज्य आदि........

किस्म मुकदमा..रा.का. 131,136 RTA..नं. ..80/2021.. सन्........

| तारीख हुक्म | हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 18.3.21 | प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री ........नरपत सिंह........ ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा ........131,136........ राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी /प्रतिवादी/रेस्पोडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक ..30.4.21.. को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर (SDO) ... | |
| 30/04/2021 | प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगणों के नोटिस तामील शुदा तामील नियाफ्त। श्रीमान पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त होने से मिशल इलतवा होकर आगामी दिनांक 06/07/2021 को पेश हो। | |
| 06/07/2021 | प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगणों के नोटिस तामील शुदा तामील नियाफ्त। श्रीमान पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त होने से मिशल इलतवा होकर आगामी दिनांक 19/11/2021 को पेश हो। | |

न्यायालय ... पीठासीन अधि...
प्रार्थी ... पुत्र अब्दुल खां जाति मुसलमान नि. सवाऊ ... तहसील गिड़ा जिला बाड़मेर
राजस्व आवेदन अन्तर्गत ...
राजस्व आवेदन संख्या 80/20...

19/11/2021 प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगण के नोटिस तामिल किस्म तामिल कैफियत/ फिलहाल पीठासीन अधिकारी प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021 कैम्पों में व्यस्त होने मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक-14/03/2022 को पेश हो।

14/03/2022 प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगण के नोटिस तामिल किस्म तामिल कैफियत/तहसीलदार गिड़ा को मौका रिपोर्ट हेतु तहरीर जारी होकर नोटिसों के इन्तजार में पत्रावली दिनांक-30/03/2022 को पेश हो।

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

30/03/2022 प्रार्थी वकील उपस्थित। तहसीलदार गिड़ा से रिपोर्ट प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली किया गया। शेष विप्रार्थीगण संख्या-2 से 13 को प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा तर्क किया गया जिनसे कोई प्रकार की इमदाद नहीं चाही गई है। प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई तहसीलदार गिड़ा से प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया गया, बाद अवलोकन प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाकर निर्णय अलग से लिखा गया व शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

राजस्थान–सरकार

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बायतु

**पीठासीन अधिकारी– श्री जगदीश सिंह आशिया आर.ए.एस.**

| प्रार्थी | बनाम | विप्रार्थी |
|---|---|---|
| 1. शकुर खां पुत्र अब्दूल खां<br>जाति तेली मुसलमान, नि. सवाऊ पदमसिंह<br>तहसील –गिड़ा, जिला बाड़मेर | | 1. राजस्थान राज्य जरिये<br>तहसीलदार गिड़ा |

**राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 131, 136 आर.एल.आर एक्ट**

दिनांक :– 30/03/2022

राजस्व आवेदन संख्या : 80/2021

**आदेश**

आवेदन में संक्षिप्त तथ्य यह है कि शकुर खां पुत्र अब्दूल खां ने एक राजस्व आवेदन पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी भुमि ग्राम सवाऊ मूलराज के खसरा नं. क्रमशः 143, 422/143, 145 रकबा क्रमशः 12.1325, 0.4694, 8.1504 हेक्टयर में प्रार्थी का नाम गुले खां पुत्र अबदा खां दर्ज कर दिया गया। जबकि गुले खां का सही नाम शकुर खां है, जबकि पटवारी द्वारा लिपिकीय भूल से शकुर खां की बजाय गुले खां खोतदारी में दर्ज किया गया। प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाकर गुले खां के स्थान पर राजस्व रेकर्ड में शकुर खां किया जावें।

प्रकरण दर्ज किया जाकर तहसीलदार गिड़ा से रिपोर्ट प्राप्त की गई, तहसीलदार गिड़ा से रिपोर्ट प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्रार्थी अधिवक्ता को सुना, पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा मतदाता पहचान कार्ड, आधार कार्ड, परिवार भामाशाह कार्ड प्रस्तुत किये गये, जिसमें प्रार्थी का नाम शकुर खां पुत्र अब्दूल खां दर्ज है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजान व तहसीलदार गिड़ा से प्राप्त रिर्पोट के आधार पर प्रार्थी का आवेदन स्वीकार योग्य है।

अतः प्रार्थी शकुर खां पुत्र अब्दूल खां का आवेदन स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम सवाऊ मूलराज पटवार मण्डल सवाऊ मूलराज के खसरा नं. क्रमशः 143, 422/143, 145 रकबा क्रमशः 12.1325, 0.4694, 8.1504 हेक्टयर की भूमि में दर्ज गुले खां पुत्र अबदा खां के स्थान पर प्रार्थी का नाम शकुर खां पुत्र अब्दूल खां राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया जाने का आदेश किया जाता है। तहसीलदार गिड़ा आदेश अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करें। पत्रावली फैसल शूमार होकर, दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 30/03/2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जगदीश सिंह आशिया)
**पीठासीन अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी,**
**एवं पदेन, सहायक कलेक्टर, बायतु**